अनुदान संख्या 1 – कृषि और सहकारिता विभाग
GRANT No. 1–DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND CO-OPERATION

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	2782,77,00	3179,83,00	2617,02,62	–562,80,38
पूरक	Supplementary	397,06,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				544,78,19
पूंजीगत:	**Capital:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
मूल	*Original*	*136,50,00*	*230,50,00*	*230,43,09*	*–6,91*
पूरक	*Supplementary*	*94,00,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	94,73,00	115,64,00	88,68,04	–26,95,96
पूरक	Supplementary	20,91,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				20,24,48

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (56280.38 लाख रु.) दिसंबर, 2004 और मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 39706.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.56280.38 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.39706.00 lakhs obtained in December, 2004 and March, 2005 and constituted 18 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''3451''	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	3137.00	3180.95	2957.08	–223.87
पु.	R.	43.95			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2070'' अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services					
मू.	O.	605.00		730.69	725.44	–5.25
पु.	R.	125.69				
मुख्य शीर्ष ''2401'' फसल कृषि कर्म	Major Head "2401" Crop Husbandry					
मू.	O.	149235.00				
पू.	S.	13503.00		116292.39	115030.32	–1262.07
पु.	R.	–46445.61				
मुख्य शीर्ष ''2402'' मृदा तथा जल संरक्षण	Major Head "2402" Soil and Water Conservation					
मू.	O.	1186.00		1056.00	1007.74	–48.26
पु.	R.	–130.00				
मुख्य शीर्ष ''2425'' सहकारिता	Major Head "2425" Co-operation					
मू.	O.	6767.00				
पू.	S.	2.00		6618.15	6617.15	–1.00
पु.	R.	–150.85				
मुख्य शीर्ष ''2435'' अन्य कृषि कार्यक्रम	Major Head "2435" Other Agricultural Programmes					
मू.	O.	17436.00				
पू.	S.	1.00		15864.41	15744.57	–119.84
पु.	R.	–1572.59				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	24750.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–24750.00			
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	74230.00	119654.22	119518.33	–135.89
पू.	S.	26200.00			
पु.	R.	19224.22			
मुख्य शीर्ष ''3602'' संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	931.00	108.00	101.99	–6.01
पु.	R.	–823.00			

(I) 72135.00 लाख रु. का प्रावधान तीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 71708.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2401'' -

(क) ''बागवानी और वनस्पति फसलें''-

(i) ''राष्ट्रीय बागवानी मिशन'' - 10000.00 लाख रु. (5000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) थे;

(ii) ''लघु सिंचाई'' - 8500.00 लाख रु. (7500.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) थे;

(I) Provision of Rs.72135.00 lakhs remained wholly unutilised under thirty heads; of these Rs.71708.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(A) Major Head "2401"-

(a) "Horticulture and Vegetable Crops" -

(i) "National Horticulture Mission" – Rs.10000.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.5000.00 lakhs);

(ii) "Micro Irrigation" – Rs.8500.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.7500.00 lakhs);

(iii) ''परिशुद्ध खेती के माध्यम से संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए उच्च प्रौद्योगिकी बागवानी'' - 2500.00 लाख रु. थे;

(iv) ''प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप और अंगीकार के माध्यम से बागवानी का सतत विकास'' - 2050.00 लाख रु.;

(V) ''बांस प्रौद्योगिकी और व्यापार विकास पर राष्ट्रीय मिशन'' - 9373.00 लाख रु.; और

(ख) ''बीज - बीजों के उत्पादन और संवितरण के लिए बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण'' - 886.00 लाख रु.।

उपर्युक्त छ: शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान व्यय वित्त समिति द्वारा स्कीम का अनुमोदन न करने/विलंब से किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ग) ''वाणिज्यिक फसलें - पूर्वी भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिए खेतों में जल प्रबंधन'' - 4975.00 लाख रु. कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने के कारण थे।

(घ) ''विस्तार और कृषकों का प्रशिक्षण - कृषि के लिए मानव संसाधन विकास/प्रशिक्षण सहायता'' - 1168.00 लाख रु. स्कीमों का पुनर्गठन किए जाने के कारण थे।

(ङ) ''तिलहनों का विकास - राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड'' - 400.00 लाख रु. इस स्कीम को पेड़ों से उत्पन्न तिलहन स्कीमों में सम्मिलित किए जाने के कारण थे।

(च) ''अन्य व्यय - कृषि संसाधन सूचना प्रणाली'' - 250.00 लाख रु. प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2425'' - ''अन्य सहकारिताओं को सहायता- सहकारिता के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता'' - 500.00 लाख रु. आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा स्कीमों को अनुमोदित न किए जाने के कारण थे।

(iii) "Hi-Tech Horticulture for efficient utilisation of Resources through Percision Farming"- Rs. 2500.00 lakhs;

(iv) "Sustainable Development of Horticulture through Technological Intervention and Adoption"- Rs. 2050.00 lakhs;

(v) "National Mission on Bamboo Technology and Trade Development" – Rs.9373.00 lakhs; and

(b) "Seeds - Development and Strengthening of Seed Infrastructure Facilities for Production and Distribution of Seeds"- Rs. 886.00 lakhs.

Provisions under the above six heads remained unutilised due to non/late approval of the scheme by Expenditure Finance Committee.

(c) "Commercial Crops – On Farm Water Management for increasing production in Eastern India" - Rs.4975.00 lakhs - due to availability of unspent balance with the implementing agencies.

(d) "Extension and Farmers' Training – Human Resources Development/Training Support for Agriculture" – Rs.1168.00 lakhs - due to restructuring of the schemes.

(e) "Development of Oil Seeds – National Oil Seeds and Vegetable Oil Development Board" – Rs.400.00 lakhs - due to sub-summing of scheme in Tree-borne Oil Seeds Schemes.

(f) "Other Expenditure – Agriculture Resources Information System (AGRIS)" – Rs.250.00 lakhs - due to non-finalisation of proposals.

(B) Major Head "2425" - "Assistance to other Co-operatives – Assistance to N.C.D.C. for Development of Co-operative" – Rs.500.00 lakhs- due to non-approval of the Schemes by Cabinet Committee on Economic Affairs.

(गा) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान'' - 24750.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को संबंधित कार्यात्मक शीर्षों से पूरा करने के लिए पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का उपयोग किए जाने के कारण थे।

(घा) मुख्य शीर्ष ''3601'' -

(क) ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(i) ''फसल कृषि कर्म - अन्य अनुदान - कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी का संवर्धन/सुदृढ़ीकरण'' - 1900.00 लाख रु. स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(ii) ''फसल कृषि कर्म - बीज - बीजों के उत्पादन और संवितरण के लिए बीज सूचना सुविधाओं का विकास और उसका सुदृढ़ीकरण'' - 337.00 लाख रु.;

(ख) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान-फसल कृषि कर्म - विस्तार और कृषकों का प्रशिक्षण - राज्य विस्तार सेवाओं को सहायता'' - 3500.00 लाख रु.; और

(ङ) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - फसल कृषि कर्म - विस्तार और कृषकों का प्रशिक्षण - राज्य विस्तार सेवाओं को सहायता'' - 619.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान व्यय वित्त समिति द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - कृषि और सहकारिता विभाग'' के अंतर्गत 112.62 लाख रु. की बचत (2843.86 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2401'' - ''अन्य व्यय - कार्य योजना (वृहद प्रबंधन) के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का संपूरण/अनुपूरण'' के अंतर्गत 3000.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को

(C) Major Head "2552" – "Other Expenditure-Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim"- Rs.24750.00 lakhs - due to utilisation of funds by re-appropriation for meeting expenditure on projects/schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim from the concerned functional heads.

(D) Major Head "3601"-

(a) "Grants for Central Plan Schemes"–

(i) "Crop Husbandry - Other Grants – Promotion/Strengthening of Information Technology in Agriculture" - Rs.1900.00 lakhs - due to non-finalisation of the scheme.

(ii) "Crop Husbandry – Seeds - Development and Strengthening of Seed Information Facilities for Production and Distribution of Seeds" – Rs.337.00 lakhs;

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Crop Husbandry- Extension and Farmers Training – Support to State Extension Services" – Rs.3500.00 lakhs; and

(E) Under Major Head "3602" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Crop Husbandry – Extension and Farmers Training – Support to State Extension Services" – Rs.619.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to non-approval of the scheme by Expenditure Finance Committee.

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat - Department of Agriculture and Co-operation" - saving of Rs.112.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2843.86 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(III) Under Major Head "2401" – "Other Expenditure – Supplementation Complementation of States efforts through Work Plan (Macro Management)" – the original provision of

1000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 4000.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नागर हवेली तथा लक्षद्वीप की संघ राज्य क्षेत्र की सरकार से ऋण दावे प्राप्त न किए जाने के कारण 290.39 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

Rs.3000.00 lakhs was augmented to Rs.4000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.290.39 lakhs – due to non-receipt of debt claims from the Union Territory Government of Andaman and Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli and Lakshadweep.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2401'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं:-

(IV) Under Major Head "2401" – savings also occurred under the following heads:-

(का) ''बीज - राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र'' - 165.68 लाख रु. की बचत (203.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(A) "Seeds – National Seeds Research and Training Centre" – saving of Rs.165.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.203.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals.

(खा) ''खाद और उर्वरक - कार्बनिक खेती के संवर्धन पर राष्ट्रीय परियोजना'' - 2894.34 लाख रु. की बचत (3194.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(B) "Manures and Fertilizers – National Project on Promotion of Organic Farming" – saving of Rs.2894.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3194.00 lakhs) was due to non-approval of the scheme by Expenditure Finance Committee.

(गा) ''वनस्पति संरक्षण - वनस्पति संरक्षण, संगरोध तथा संचयन निदेशालय'' - 2637.22 लाख रु. की बचत (5454.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र के काम न करने और संबंधित राज्य सरकारों से भूमि/स्थान प्राप्त करने में विलंब होने की वजह से नया पौध संगरोध केंद्र एवं एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्रों के न खोले जाने के कारण हुई।

(C) "Plant Protection – Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage" – saving of Rs.2637.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5454.00 lakhs) was due to non-functioning of Central Integrated Pest Management Centre and non-opening of new Plan Quarantine Station and Integrated Pest Management Centres owing to delay in obtaining land/space from the concerned State Governments.

(घा) ''वाणिज्यिक फसलें'' -

(D) "Commercial Crops"-

(क) ''कपास से संबंधित तकनीकी मिशन'' - 492.11 लाख रु. की बचत (1083.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जैव-कारक (बायो-एजेंट) प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(a) "Technical Mission on Cotton" - saving of Rs.492.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1083.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for establishment of bio-agent labs.

(ख) ''जल विभाजक क्षेत्र विकास परिषद'' - 126.97 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न किए जाने के कारण हुई।

(b) "Watershed Development Council" - saving of Rs.126.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates.

(ङ) ''विस्तार और कृषकों का प्रशिक्षण'' -

(E) "Extension and Farmers Training" -

(क) ''राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना'' - 1181.60 लाख रु. की बचत (2431.00 लाख रु. के स्वीकृत

(a) "National Agricultural Technical Project"- saving of Rs.1181.60 lakhs (against the

प्रावधान की तुलना में) विस्तारित परियोजना के अंतर्गत कुछ कार्यकलापों को पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना'' - 162.70 लाख रु. की बचत (685.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ;

(ग) ''विस्तार सेवाओं का सुदृढ़ीकरण'' - 197.74 लाख रु. की बचत (305.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घ) ''सूचना सहायता/प्रबंध सूचना प्रणाली'' - 345.43 लाख रु. की बचत (411.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ङ) ''कृषि विस्तार को जन प्रचार समर्थन'' - 2000.00 लाख रु. की बचत (6837.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें स्कीम का पुनर्गठन/संशोधन किए जाने के कारण हुई।

(चा) ''फसल बीमा - खेती आय बीमा स्कीम'' - 2144.00 लाख रु. की बचत (3200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बीमा कंपनी से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(छा) ''कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी'' -

(क) ''कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान के लिए क्षेत्रीय केंद्र'' - 876.29 लाख रु. की बचत (1401.29 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने, उपयोग प्रमाण पत्र और योजना के माध्यम से स्कीम को लागू करने के लिए व्यय वित्त समिति का निर्णय प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ''फसल कृषि कर्म का पूर्वानुमान और दूर संवेदी अनुप्रयोग''- 224.96 लाख रु. की बचत (386.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपाय किए जाने और प्रशासनिक कारणों की वजह से कम निधियां जारी किए जाने के कारण हुई।

sanctioned provision of Rs.2431.00 lakhs) was due to non-completion of some activities under the extended project.

(b) "National Agricultural Extension Project"- saving of Rs.162.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.685.00 lakhs);

(c) "Strengthening of Extension Services" - saving of Rs.197.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.305.00 lakhs);

(d) "Information Support/Management Information System" - saving of Rs.345.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.411.00 lakhs); and

(e) "Mass Media Support to Agricultural Extension" – saving of Rs.2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6837.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to re-structuring/revision of the scheme.

(F) "Crop Insurance – Farm Income Insurance Scheme (FIIS)" – saving of Rs.2144.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3200.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Insurance Company.

(G) "Agricultural Economics and Statistics" –

(a) "Regional Centre for Agro Economics Research" - saving of Rs.876.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1401.29 lakhs) was due to availability of unspent balance, non-receipt of utilisation certificates and decision of Expenditure Finance Committee for implementation of the scheme through Plan.

(b) "Forecasting and Remote Sensing Application of Crops Husbandry" - saving of Rs.224.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.386.00 lakhs) was due to economy measures and release of less funds owing to lack of administrative reasons.

(जा) ''तिलहनों का विकास - टीएमओपी (मुख्यालय) सहित पीएचटी'' - 595.03 लाख रु. की बचत (1775.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(झा) ''बागवानी और वनस्पति फसलें - राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को सहायता अनुदान'' - 2000.00 लाख रु. की बचत (9000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने और उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(ञ) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''एमआईएस/पीएसएस के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लिमिटेड को अनुदान'' - 7253.00 लाख रु. की बचत (19253.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)नेफेड से प्रतिपूर्ति के लिए कम दावे प्राप्त होने और संशोधित अनुमान चरण पर व्यय को प्रतिबंधित किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''कृषि आयोजना और प्रबंधन'' - 359.96 लाख रु. की बचत (450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ग) ''डीएसी सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण'' - 126.29 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(घ) ''कृषि निदानगृह/कृषि व्यापार केंद्र की स्थापना'' - 616.00 लाख रु. की बचत (1485.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ङ) ''किसानों के संबंध में राष्ट्रीय आयोग'' - 137.98 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत

(H) "Development of Oil Seeds – PHT including TMOP (HQs)" – saving of Rs.595.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1775.00 lakhs); and

(I) "Horticulture and Vegetable Crops-Grants-in-aid to National Horticulture Board"– saving of Rs.2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balance of previous year with the implementing agencies and non-receipt of utilisation certificates.

(J) "Other Expenditure" –

(a) "Grant to National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India Limited for MIS/PSS" – saving of Rs.7253.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 19253.00 lakhs) was due to receipt of less claims for reimbursement from NAFED and restriction on expenditure at revised estimates stage.

(b) "Planning and Management of Agriculture"– saving of Rs.359.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.450.00 lakhs) was due to non-finalisation of Memorandum of Understanding with Indian Institute of Technology, Delhi.

(c) "Strengthening of IT and Information Network in DAC" - saving of Rs.126.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals.

(d) "Establishment of Agricultural Clinic/ Agricultural Business Centre"- saving of Rs.616.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1485.00 lakhs) was due to receipt of less proposals.

(e) "National Commission on Farmers"- saving of Rs.137.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to

प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और सादगी उपाय अपनाए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2402" - "मृदा सर्वेक्षण और परीक्षण - अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण तथा दूर संवेदी प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग" के अंतर्गत 103.05 लाख रु. की बचत (868.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सादगी उपयों को अपनाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "2435" - "विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण"-

(का) "श्रेणीकरण और गुणवत्ता सुविधाएं - एगमार्क श्रेणीकरण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण" - 149.27 लाख रु. की बचत (1068.33 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और पर्याप्त प्रतिक्रिया के अभाव में विभिन्न कीटनाशकों के प्रमाणीकृत मानकों की खरीद न किए जाने के कारण हुई ।

(खा) "अन्य व्यय - बाजार अवसंरचना का विपणन विकास, श्रेणीकरण और विपणन मानकीकरण" - 1500.00 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम का देर से अनुमोदन किए जाने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - फसल कृषि कर्म - कृषि अर्थशास्त्र और कृषि सांख्यिकी का सांख्यिकी सुधार" के अंतर्गत 192.24 लाख रु. की बचत (2388.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने की वजह से कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(VIII) मुख्य शीर्ष "3602" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अन्य कृषि कार्यक्रम - कार्य योजना (वृहत् प्रबंधन) के माध्यम से राज्य प्रयासों का संपूरण/अनुपूरण" - 186.00 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पांडिचेरी और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(IX) पांच शीर्षों के अंतर्गत 366.34 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख

non-filling up of vacant posts and austerity measures.

(V) Under Major Head "2402" - "Soil Survey and Testing - All India Soil and Land use Survey and Application of Remote Sensing Technology"– saving of Rs.103.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.868.00 lakhs) was due to austerity measures.

(VI) Major Head "2435" – "Marketing and Quality Control" -

(A) "Grading and Quality Facilities – Strengthening of Agmark Grading Facilities" – saving of Rs.149.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1068.33 lakhs) was due to non-finalisation of proposals and non-purchase of certified standards of various pesticides owing to lack of adequate response.

(B) "Other Expenditure – Marketing Development of Market Infrastructure, Grading and Marketing Standardisation" – saving of Rs.1500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs) was due to late approval of the scheme.

(VII) Under Major Head "3601"– "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Crop Husbandry – Agricultural Economic and Statistics Improvement of Agricultural Statistics"- saving of Rs.192.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2388.00 lakhs) was due to less requirement owing to availability of unspent balance of previous year with the State Governments.

(VIII) Under Major Head "3602" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Other Agricultural Programme – Supplementation/ Complementation of States effort through Work Plan (Macro - Management)" - saving of Rs.186.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year with the Union Territory Governments of Pondicherry and Delhi.

(IX) Under five heads savings of Rs.366.34 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs

रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक थीं।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (5739.63 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि दिसंबर, 2004 और मार्च, 2005 में मुख्य शीर्ष ''2401'' के निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 13503.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''बीज - स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया को सहायता अनुदान'' - 2008.00 लाख रु.।

(खा) ''विस्तार और कृषकों का प्रशिक्षण - डीओई के केंद्रीय संस्थानों को विस्तार सहायता'' - 907.33 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 839.72 लाख रु. था।

(गा) ''कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी - भारत में प्रधान फसलों के उत्पादन की लागत के अध्ययन के लिए व्यापक स्कीम'' - 399.30 लाख रु. । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 343.63 लाख रु. था।

(घा) ''तिलहनों का विकास - एकीकृत तिलहन/तेल पाम/दाल और मक्का विकास'' - 2425.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2424.50 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''अन्य व्यय - कीट प्रबंधन पहुंच का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण'' - कीटनाशी अधिनियम का कार्यान्वयन'' - 143.71 लाख रु. का अधिक व्यय (137.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाओं को पूर्ति किए जाने के लिए उपस्कर की खरीद किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2401'' -

(क) ''बीज - बीज बैंक की स्थापना और अनुरक्षण'' - 130.42 लाख रु. का अधिक व्यय (650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बीज बैंक की स्थापना और अनुरक्षण की स्कीम को लागू किए जाने के कारण हुआ।

but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 11 percent to 95 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (Rs.5739.63 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.13503.00 lakhs in December,2004 and March, 2005 under Major Head "2401" – under the following heads:-

(A) "Seeds – Grants-in-aid to State Farms Corporation of India" – Rs.2008.00 lakhs.

(B) "Extension & Farmers Training - Extension Support to Central Institutes of DOE" –Rs.907.33 lakhs. Actual excess, however, was Rs.839.72 lakhs.

(C) "Agricultural Economics and Statistics-Comprehensive Scheme for studying the cost of cultivation of Principal Crops in India" – Rs.399.30 lakhs. Actual excess, however, was Rs.343.63 lakhs.

(D) "Development of Oil Seeds – Integrated Oilseeds/Oil palm/Pulses and Maize Development" - Rs. 2425.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2424.50 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2070" – "Other Expenditure– Strengthening and Modernisation of Pest Management Approach – Implementation of Insecticides Act" - excess of Rs.143.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.137.00 lakhs) was due to purchase of equipment for supply to State Pesticides Testing Laboratories.

(B) Major Head "2401"-

(a) "Seeds – Establishment and Maintenance of Seed Bank" – excess of Rs.130.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.650.00 lakhs) was due to implementation of the scheme for Establishment and Maintenance of Seed Bank.

(ख) ''बागवानी और वनस्पति फसलें - पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में बागवानी के एकीकृत विकास पर प्रौद्योगिकी मिशन'' - 12122.27 लाख रु. का अधिक व्यय (5550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ''पूर्वोत्तर राज्यों में लघु किसान - कृषि व्यापार संघ'' की आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(ग) ''अन्य व्यय - कृषि सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/संवर्धन'' - 120.53 लाख रु. का अधिक व्यय (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)किसान काल सेंटरों को चलाने के लिए टीसीआईएल/एमटीएनएल/बीएसएनएल को अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष ''2425'' - ''प्रशिक्षण - राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद'' - 125.00 लाख रु. का अधिक व्यय (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर राज्यों में सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करने संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद को निधियां जारी किए जाने के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष ''3601'' -

(क) ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(i) ''फसल कृषि कर्म - पौध संरक्षण - देश में कीट प्रबंधन पहुंच का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण'' - 129.00 लाख रु. का अधिक व्यय (491.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)राज्य सरकारों द्वारा निधियों की अधिक आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) ''फसल कृषि कर्म - कृषि इंजीनियरी - किसानों के खेतों पर बागवानी उपस्कर सहित नव विकसित कृषि उपस्कर का प्रशिक्षण और निदर्शन का बाह्य स्रोत'' - 190.98 लाख रु. का अधिक व्यय (80.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से अधिक आवश्यकताएं प्राप्त होने और इस स्कीम के अंतर्गत नए संघटकों को शामिल किए जाने के कारण हुआ।

(b) "Horticulture and vegetable crops- Technology Mission on Integrated Development of Horticulture in North – East States, Sikkim, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttaranchal"- excess of Rs.12122.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5550.00 lakhs) was due to meeting the requirements of "Small Farmers Agri-business Consortium" for North Eastern States.

(c) "Other Expenditure – Strengthening/ Promoting Agricultural Information System" – excess of Rs.120.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 250.00 lakhs) was due to payment to TCIL/MTNL/BSNL for running of Kisan Call Centres.

(C) Major Head "2425"- "Training - National Council for Co-operative Training" - excess of Rs.125.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 800.00 lakhs) was due to release of funds to National Council for Co-operative Training for meeting the requirements for implementing Co-operative Training Pragramme in North Eastern States.

(D) Major Head "3601" –

(a) "Grants for Central Plan Schemes" –

(i) "Crop Husbandry – Plant Protection – Strengthening and Modernisation of Pest Management Approach in the Country" – excess of Rs.129.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.491.00 lakhs) was due to more requirement of funds by State Governments.

(ii) "Crops Husbandry - Agricultural Engineering – Outsourcing of Training and Demonstration of Newly Developed Agricultural Equipment including Horticulture Equipment at Farmers field" - excess of Rs.190.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.80.00 lakhs) was due to more requirements by State Governments and introduction of new components under the scheme.

(iii) ''फसल कृषि कर्म - विस्तार और कृषकों का प्रशिक्षण-केंद्रीय संस्थान/डीओई को विस्तार सहायता'' - 115.88 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान''-

(i) ''फसल कृषि कर्म - कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी - कृषि जनगणना'' - 138.00 लाख रु. का अधिक व्यय (785.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(ii) ''फसल कृषि कर्म - वाणिज्यिक फसलें - गहन कपास विकास कार्यक्रम और कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन'' - 962.78 लाख रु. का अधिक व्यय (2942.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बढ़े हुए लक्ष्यों और स्कीम की प्रगति होने की वजह से राज्य सरकारों से अधिक आवश्यकता प्राप्त होने के कारण हुआ।

(iii) ''फसल कृषि कर्म - अन्य अनुदान - कार्य योजना (वृहत प्रबंधन) के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का संपूरण/अनुपूरण'' - 16311.43 लाख रु. का अधिक व्यय (26200.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 75068.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से अधिक आवश्यकता प्राप्त होने और बागवानी एवं शुष्क भूमि की खेती के लिए अतिरिक्त कार्य योजना का अनुमोदन किए जाने के कारण हुआ।

(iv) ''फसल कृषि कर्म - तिलहनों का विकास - एकीकृत तिलहन, तेल पाम, दाल और मक्का विकास'' - 7068.47 लाख रु. का अधिक व्यय (10560.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बढ़े हुए उत्पादन कार्यक्रम की आवश्यकता को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(III) छह शीर्षों के अंतर्गत 463.34 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत

(iii) "Crop Husbandry-Extension and Farmers Training - Extension Support to Central Institute/DOE" - excess of Rs.115.88 lakhs (against nil provision); and

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" –

(i) "Crop Husbandry - Agricultural Economics and Statistics – Agriculture Census"- excess of Rs.138.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.785.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to meeting the requirements of North Eastern States.

(ii) "Crop Husbandry - Commercial Crops – Intensive Cotton Development Programme and Technology Mission on Cotton"– excess of Rs.962.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2942.00 lakhs) was due to more requirements from State Governments owing to enhanced targets and progress of scheme.

(iii) "Crop Husbandry - Other Grants – Supplementation/Complimentation of States Efforts through Work Plan (Macro Management)" - excess of Rs.16311.43 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.75068.00 lakhs including supplementary grant of Rs.26200.00 lakhs) was due to more requirements from State Governments and approval of additional work plan for Horticulture and Dryland Farming.

(iv) "Crop Husbandry – Development of Oil Seeds-Integrated Oil Seeds, Oil Palm, Pulses and Maize Development" – excess of Rs.7068.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10560.00 lakhs) was due to meet the requirements of Enhanced Production Programme.

(III) Under six heads excess of Rs.463.34 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 17 percent to 3173 percent of the sanctioned

से 3173 प्रतिशत तक था। इसमें एक ऐसा शीर्ष शामिल हैं जिसमें समस्त व्यय निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा किया गया था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

provision. These included one head where the entire expenditure was met by re-appropriation of funds.

3. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	*O.*	*1450.00*	. .	. .	. .
पु.	*R.*	*–1450.00*			
मुख्य शीर्ष ''7601'' *राज्य सरकारों को कर्ज तथा अग्रिम (प्रभारित)*	Major Head "7601" *Loans and Advances to State Governments (Charged)*				
मू.	*O.*	*12200.00*	*23050.00*	*23043.09*	*–6.91*
पू.	*S.*	*9400.00*			
पु.	*R.*	*1450.00*			

(I) *1450.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष ''4552''- *''अन्य व्यय - सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान''* के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का उपयोग किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *Rs.1450.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552" – *"Other Expenditure – Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern States including Sikkim"* - due to utilisation of funds by re-appropriation for meeting expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II). मुख्य शीर्ष ''7601'' - *''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए कर्ज - फसल कृषि कर्म - अन्य कर्ज - कार्य योजना (वृहत् प्रबंधन) के माध्यम से राज्य के प्रयासों का संपूरण/अनुपूरण''* के अंतर्गत *1443.09 लाख रु.* का अधिक व्यय (*9400.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* सहित *21600.00 लाख रु.* के कुल स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में)पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों में उपयोग के लिए

(II) Under Major Head "7601" - *"Loans for Centrally Sponsored Plan Schemes - Crop Husbandry - Other Loans - Supplementation / Complementation of States Efforts through Work Plan (Macro Management)"* – excess of *Rs.1443.09 lakhs* (against the total sanctioned *appropriation* of *Rs.21600.00 lakhs* including supplementary *appropriation* of *Rs.9400.00 lakhs*) was due to re-appropriation of funds from Major

मुख्य शीर्ष ''4552'' से कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुआ।

Head "4552" to functional heads for utilisation in the schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (2695.96 लाख रु.) मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 2091.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत थीं।

4. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (Rs.2695.96 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs. 2091.00 lakhs obtained in March, 2005 and constituted 23 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4401'' फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4401" Capital Outlay on Crop Husbandry				
मू.	O.	1355.00	1165.52	499.04	–666.48
पु.	R.	–189.48			
मुख्य शीर्ष ''4402'' मृदा और जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4402" Capital Outlay on Soil and Water Conservation				
मू.	O.	115.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–115.00			
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	300.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–300.00			

शीर्ष Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''6401'' फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज	Major Head "6401" Loans for Crop Husbandry				
मू.	O.	1468.00	68.00	67.00	–1.00
पु.	R.	–1400.00			

(I) 1372.00 लाख रु. का प्रावधान नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1215.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4402'' - ''मृदा संरक्षण - अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण'' - 115.00 लाख रु. अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण द्वारा प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''4552'' - ''अन्य व्यय - सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान'' - 300.00 लाख रु. प्रस्ताव प्राप्त न किए जाने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष ''6401'' - ''सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - राष्ट्रीय बीज निगम'' - 800.00 लाख रु. निगम द्वारा प्रस्तावों के प्राप्त न किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''4401'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''वनस्पति संरक्षण'' -

(क) ''देश में कीट प्रबंधन पहुंच का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण'' - 167.15 लाख रु. की बचत (271.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''वनस्पति संगरोध सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण'' - 273.32 लाख रु. की बचत (333.00

(I) Provision of Rs.1372.00 lakhs remained wholly unutilised under nine heads; of these Rs.1215.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "4402" - "Soil Conservation– All India Soil and Land use Survey" – Rs.115.00 lakhs - due to non-finalisation of the proposal by All India Soil and Land use Survey.

(B) Major Head "4552" - "Other Expenditure- Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern States including Sikkim"-Rs.300.00 lakhs - due to non-receipt of proposals.

(C) Major Head "6401" - "Loans to Public Sector and Other Undertakings – National Seeds Corporation"- Rs.800.00 lakhs - due to non-receipt of proposals by the Corporation.

(II) Under Major Head "4401" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Plant Protection" -

(a) "Strengthening and Modernisation of Pest Management Approach in the Country" – saving of Rs.167.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.271.00 lakhs); and

(b) "Strengthening and Modernisation of Plant Quarantine Facilities" – saving of Rs.273.32

लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुईं।

lakhs (against the sanctioned provision of Rs.333.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें किसी नए निर्माण कार्यकलाप को पूरा किए जाने से पहले स्कीम के प्रभाव का मूल्यांकन करने की वजह से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कम मांग किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to less demand from Central Public Works Department owing to evaluation of the impact of the scheme before meeting any new construction activities.

(खा) ''कृषि इंजीनियरी - फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान की स्थापना'' - 396.59 लाख रु. की बचत (490.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कम मांग किए जाने और मैसर्स एवीएल इंडिया प्राइवेट लि. द्वारा बैंक गारंटी प्रस्तुत न किए जाने की वजह से उत्सर्जन परीक्षण सुविधाओं के लिए उपस्करों की पूर्ति के लिए कम धनराशि जारी किए जाने के कारण हुई।

(B) "Agricultural Engineering-Establishment of Farm Machinery Training and Testing Institute"- saving of Rs.396.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.490.00 lakhs) was due to less demand from Central Public Works Department and less release for supply of equipments for emission test facilities owing to non-furnishing of Bank guarantee by M/s AVL India Private Ltd.

(III) मुख्य शीर्ष ''6401'' - ''सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया'' के अंतर्गत 600.00 लाख रु. की बचत (667.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "6401"- "Loans to Public Sector and Other Undertakings – State Farms Corporation of India" – saving of Rs.600.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.667.00 lakhs) was due to less receipt of proposals from implementing agencies.

5. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''4401'' - ''अन्य व्यय - राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 141.37 लाख रु. का अधिक व्यय (50.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए निर्मित भवन में उप-केंद्र, अन्य वैद्युत निर्माण कार्यों के संस्थापन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

5. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4401" - "Other Expenditure – National Agricultural Technology Project (NATP)" - excess of Rs.141.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.50.00 lakhs) was due to additional requirement of funds for installation of sub-station, other electric works etc. in the newly constructed building.